

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प शाहपुर

प्रशासन गावों के संग अभियान - 2021

243
30/6/22

-:आदेश:-

58
2022

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नाथानाथ व भू.अ.नि. शाहपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भूमरपुर तहसील शाहपुर व जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 46 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भूमरपुर	46	मुरली उग्र शम्भाय	मुरलीप्य उग्र मुरली उग्र शम्भाय जेस 5300 यथानत

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उप-उपखण्ड अधिकारी एवं
शाहपुर सहायक कलक्टर,

कमांक :- 244-45

दिनांक :- 30/6/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शाहपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। मुरलीप्य नाथानाथ

30/6/22

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
शाहपुर सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,